



कायालय मुख्य कायपालन आधिकारी एव आधेष्ठाता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.)

ईमेल:- deantatlam@gmail.com वेबसाइट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 फ़ोनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करे - जीवन बचाएँ

क्रमांक 12245/स्था./जी.एम.सी./2025

रतलाम, दिनांक :- 02/09/25

// विज्ञप्ति //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जूनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 01 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए दिनांक 09.09.2025 (मंगलवार) वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार के दिन प्रातः 11:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

जूनियर रेसिडेंट (निश्चित वेतन रु. 61,515/- प्रतिमाह)

विभाग	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रिक्त कुल पद
Psychiatry	-	1	-	-	-	1
Total :- 01	-	1	-	-	-	1

जूनियर रेसिडेंट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक साक्षात्कार किये जायेंगे। आवेदन पत्र साक्षात्कार के दिन प्रातः 11 बजे तक डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे। प्रातः 11 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

जूनियर रेसिडेंट के पद हेतु जिन उम्मीदवारों का ग्रामीण सेवा का बॉण्ड आ गया है तथा जो ग्रामीण सेवा में बॉण्ड पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार जूनियर रेसिडेंट के पद पर आवेदन करने के लिये पात्र नहीं हैं।

नोट:-

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार लागू होगा।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।
- अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

निरंतर2

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. अवधि : जूनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि (Tenure) 01 वर्ष होगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्तांकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. जूनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
6. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
7. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें :-

चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिनांक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसिडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

1. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
3. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
4. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
7. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों की स्क्रुटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा की उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
8. यदि उम्मीदवार द्वारा ओबीसी पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
9. बाण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले जूनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Anita Mutha.

डॉ. अनिता मूथा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, शा.स्व.चि.महा. रबलाम (म०प्र)

शपथ-पत्र

मैं पिता

आयु पता

विषय ये घोषणा करता/करती हूँ की मेरा नाम पी.एम.टी./पी.

जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं मेरे विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।

नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदित पद का नाम

शपथ-पत्र
(बाण्डेड अभ्यार्थियों हेतु)

मैं पिता

आयु पता

विषय ये घोषणा करता/करती हूँ की मेरा एक वर्ष का ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड नहीं आया है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले सीनियर/जूनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदित पद का नाम